न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 04/2019

अपीलांट

लक्ष्मण पुत्र ओमप्रकाश जी उम्र 27 वर्ष, कौम जटिया निवासी जटियो का बास, सोजतसिंटी, तहसील सोजतसिटी जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. श्रीमति सीतादेवी पत्नी शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी 228, सरदार पटेल नगर पाली
2. हीरालाल पुत्र भाणाराम आयु 66 वर्ष, कौम जटिया निवासी 173, जटियो का बास, सोजतसिटी, तहसील सोजत सिटी जिला पाली।
3. श्रीमान तहसीलदार महोदय, मारवाड जंक्शन, तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री राजूराम हरियाल, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री वीरम मोहबारशा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01
श्री दिनेश प्रजापति, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02
राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30.08.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी मारवाड जंक्शन द्वारा मुकदमा नंबर 14/2017 में पारित आदेश दिनांक 05.11.2018 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 117 में आने जाने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की कृषि भूमि मे से आने जाने हेतु रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने अपनी कृषि भूमि का बेचान अपीलांट को कर दिया है, तथा उक्त भूमि पर अपीलांट काबिज हैं। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन मे अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ प्रस्तावित रास्ते बाबत नजरी नक्शा पेश किया न ही आवेदन की तस्दीक की, एवं न

ही अपना शपथ पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो समन जारी किये गये, वह भी विधिक प्रक्रिया अनुरूप नहीं है। अपीलांट की कृषि भूमि बहुत कम मात्रा मे है। इस कारण से उक्त आराजी से रास्ता दिया जाना कानूनन सही नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु नजदीक व सुलभ रास्ता उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो को दरकिनार करते हुए अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये बिना सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 117 में आने जाने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की कृषि भूमि मे से आने जाने हेतु रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार मारवाड जंक्शन से मौका रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा दिनांक 25.09.2018 को भू–अभिलेख निरीक्षक जाडन द्वारा उक्त रास्ता बाबत जांच कर प्रस्तुत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसमें खसरा नंबर 117 में आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड में अन्य कोई रास्ता दर्ज नहीं है। खसरा संख्या 116 से ही न्यूनतम जाने का रास्ता प्रस्तावित बताया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने जब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उस वक्त वादग्रस्त खसरे की खातेदारी हीरालाल के नाम थी, जिसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाया गया, एवं उसे सम्यक रूप से नोटिस की तामिल करवाई गई। उसके पश्चात उक्त खसरा नंबर 116 अपीलांट को बेचने का तथ्य का पता चलने पर लक्ष्मण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नोटिस जारी किये गये। जिस पर अपीलांट ने लेने से मना करने एवं तामिल कुनिन्दा द्वारा उक्त नोटिस उसके आबाद मकान पर चस्पा किया गया, दो मौतबिरान के हस्ताक्षर करने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत आवेदन की जानकारी होने के बावजूद वह जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में खसरा नंबर 117 में आने जाने हेतु 116 में सबसे नजदीक व सुलभ रास्ता बताया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत संक्षिप्त कार्यवाही/प्रक्रिया अपनाते हुए काश्तकारों को राहत प्रदान करने के प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हुआ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का

विवेचन करते हुए रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होने पर जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 117 में आने जाने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की कृषि भूमि मे से आने जाने हेतु रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार मारवाड जंक्शन से वादग्रस्त आराजी के संबध में मौका रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा अपने पत्र क्रमांक/राजसव/18/3967 दिनांक 25.09.2018 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त मौका रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा चाहा गया मार्ग सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं होकर आत्यांतिक आवश्यक एवं नजदीकतम है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत संक्षिप्त कार्यवाही/प्रक्रिया अपनाते हुए काश्तकारों को राहत प्रदान करने के प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हुआ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का विवेचन करते हुए रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होने पर जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष दिया गया है। किन्तु उक्त मौका रिपोर्ट के अन्तर्गत खसरा नंबर 117 में आने जाने हेतु खसरा नंबर 116 के बीचे खसरा नंबर 71 जो राजकीय भूमि होने अंकन किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधान के अनुसार अगर किसी खातेदार को अपनी खातेदारी में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद न हो, तथा अगर इस बीच कोई सरकारी भूमि आती हो तो ऐसी स्थिति जितनी सरकारी भूमि रास्ते में दर्ज की जायेगी, उतनी भूमि रास्ता चाहने वाले खातेदार की खातेदारी भूमि में से सरकारी दर्ज किये जाने का प्रावधान है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नंबर 71 जो सिवायचक सरकारी भूमि है, से रास्ता दर्ज करने के बदले रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के खातेदारी भूमि में से भूमि समर्पित कर राजकीय खाते में दर्ज करने का कोई आदेश अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने खसरा नंबर 116 से अपनी खातेदारी में आने जाने हेतु रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। उक्त खसरा नंबर की समस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 हीरालाल ने अपीलांट को बेचान कर दी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को पक्षकार बनाने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 01

द्वारा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया। एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को पक्षकार बनाने का कोई आदेश पारित किया। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया को अपनाये जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानो की पूर्णतया जांच किये बिना जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपखंड अधिकारी मारवाड जंक्शन द्वारा मुकदमा नंबर 14/2017 में पारित आदेश दिनांक 05.11.2018 अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए पुन विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली